संख्या 24/267/2014--पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

.....

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 17.07.2014

सेवा में,

श्री रूपकुमार,
अध्यापक, ग्राम जरैलिया,
पो0– बाजना नौहझील,
जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

......

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आवेदन दिनांक शुन्य, जो दिनांक 26/06/2014 को प्राप्त हुई है, के संबंध मे यह अवगत कराया जाता है कि पदम श्री पुरस्कार 2014 के लिए स्वीकृत किए गए नामों की सूची संलग्न है। पदम पुरस्कार 2014 के लिए निर्धारित तिथि तक प्राप्त नामांकनों से संबंधित सूचना गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध है। तथापि यह सूची 98 पृष्ठ की है। यदि आवेदक चाहे तो रू 2 प्रति पृष्ठ की दर से 98 पृष्ठों के लिए रू 196 लेखाधिकारी, गृह मंत्रालय के नाम से जमा कराके प्राप्त कर सकता है।

2. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

म. श्यामला

(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रिय जन सूचना अधिकारी

आर्ड टी अनुभाग

CR – 30154 3/Dir (Adv) 114 SITO. 1(R)

(318)

सं. ए-43020/01/2014/आर टी आई 02/07

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

* * * *

नई दिल्ली, दिनांक : 1/7/ 2014

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री रूपकुमार ....का आवेदन।

* * * * * * *

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री रूप कुमार ....के दिनांक - - 2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में .... से अंतरण द्वारा दिनांक 26/6/2014 को प्राप्त) को .... प्रशासन .... प्रभाग को अंतरित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन का संबंधित भाग उस प्राधिकारी को अंतरित/अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 26.6.2014 के .... सं. 29346 .... के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह ... से नीचे की श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

<u>संलग्नक :</u> यथोपरि

सु. सामंत

(सु. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

✓ निदेशक (एडवी) (पब्लिक अनुभाग के लिए)
गृह मन्त्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली
....

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री रूपकुमार
ग्राम = जरौलिया, पोस्ट = बाजना
तहसील, जिला - मथुरा
उत्तर प्रदेश

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

2/7/14 US (P)

[illegible] ms. P

207

4442/RTI/MHA/2014
27/6/14

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली 110001

प्रेषक,

रूपकुमार, अध्यापक
.ग्राम. जरैलिया, पोस्ट.बाजना ;नौहझील
जिला. मथुरा ;उत्तर प्रदेश.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम.2005 के अन्तर्गत सूचना मॉगना।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित सूचना निर्धारित समयावधि में मेरे पते पर भेजने की कृपा करें:–

1. पद्म एवार्ड 2014 (केवल पद्म श्री) के लिये गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमैटी द्वारा प्रधान मंत्री कार्यालय को संस्तुत किये गये नामों की सूची।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निर्धारित समयावधि में पद्म श्री एवार्ड –2014 के लिये प्राप्त नामों की सूची।.

मैं निर्धारित शुल्क दस रूपये की रसीद संख्या: से जमा कर रहा हूँ/दस रूपये का पोस्टल आर्डर जमा कर रहा हूँ।

कृपया सूचना भेजते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद नाम व पते का भी उल्लेख करने का कष्ट करें।

सधन्यवाद !

भवदीय,

रूपकुमार

रूपकुमार पुत्र श्री ओमवीर सिंह
ग्राम–जरैलिया, पोस्ट–बाजना,नौहझील,
जिला–मथुरा (उत्तर प्रदेश)

Dir (A&V)
for Public